छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क. एफ 13–4 / 2006 / आ.प्र. / 1–3 नया रायपुर, दिनांक 29 जून 2013

प्रति

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ राजस्व मण्डल बिलासपुर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
छत्तीसगढ़.

विषय : अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित पदों पर नियुक्ति तथा आरक्षित सीटों पर प्रवेश, निर्वाचन, मनोनयन आदि के लिए अग्रिम सत्यापित जाति प्रमाण–पत्र नहीं मांगे जाने के संबंध में।

भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के परिपत्र कमांक 36836 / 8 / 98–स्थापना (आरक्षण) दिनांक 16 मार्च, 1999 तथा परिपत्र कमांक 36022 / 1 / 2007–स्थापना (आरक्षण) दिनांक 20 मार्च, 2007 में दिए गए निर्देशानुसार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित पदों तथा आरक्षित सीटों पर गैर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों तथा अपात्र व्यक्तियों के द्वारा मिथ्या एवं कपटपूर्वक प्राप्त जाति प्रमाण–पत्र के आधार पर नियुक्ति, प्रवेश, निर्वाचन, आदि पर रोक लगाने एवं इन प्रवृत्तियों पर समुचित नियंत्रण हेतु विभागीय समसंख्यक परिपत्र दिनांक 28 नवम्बर, 2006, 23 अप्रैल, 2007, 26 सितम्बर, 2007, 12 दिसम्बर, 2011, 31 मार्च, 2012 तथा 01 सितम्बर, 2012 के द्वारा एवं समय–समय पर आनुषंगिक निर्देश जारी किए गए हैं।

2/ विभाग के उपर्युक्त परिपत्र दिनांक 28 नवम्बर, 2006 के द्वारा नियोक्ताओं को आरक्षित वर्ग के नियुक्ति आदेश में तथा परिपत्र दिनांक 23 जुलाई, 2012 के द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षित वर्ग के प्रवेश के प्रकरणों में, उनके प्रवेश के, अनन्तिम होने तथा उचित माध्यम से सत्यापित किए जाने के अध्याधीन होने का उपबंध करने का निर्देश दिए गए थे। इन निर्देश के फलस्वरूप राज्य के आरक्षित वर्ग के ऐसे समस्त व्यक्तियों, जिन्होंने पूर्व में सक्षम

–2–

प्राधिकारी के द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया था या उक्त निर्देश जारी होने के उपरांत प्राप्त कर रहे थे, के द्वारा चयन उपरांत जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन में होने वाली प्रक्रिया से बचने के लिए पूर्व से ही जाति प्रमाण-पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समितियों/सत्यापन समितियों के समक्ष सत्यापन हेतु आवेदन किया जाने लगा, भले ही उनके द्वारा नियुक्ति अथवा किसी व्यावसायिक संस्था में प्रवेश हेतु कोई आवेदन नहीं दिया गया हो।

3/ उपर्युक्त निर्देशों में यद्यपि कभी भी नियोक्ताओं, शैक्षणिक संस्था प्रमुखों तथा अन्य प्राधिकारों को आरक्षित पद अथवा आरक्षित सीट पर, यथास्थिति, नियुक्ति अथवा प्रवेश आदि के लिए प्रकाशित की जाने वाली विज्ञप्तियों में आवेदकों से छानबीन समितियों/जिला सत्यापन समितियो से सत्यापित जाति प्रमाण-पत्र की मॉग किए जाने के कोई निर्देश नहीं दिए गए थे परंतु नियोक्ताओं, शैक्षणिक संस्था प्रमुखों तथा अन्य प्राधिकारों के द्वारा भी उपर्युक्त अनुसार ही संभवतः यह विचार करते हुए कि आरक्षित पदों पर नियुक्ति या प्रवेश आदि में कदाचित किसी अपात्र अथवा मिथ्या अथवा कपटपूर्वक जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति नियुक्त अथवा प्रवेशित न हो जावे, जिसके कारण बाद में किन्हीं कठिनाईयों का सामना करना पड़े, बिना शासन निर्देशों के आरक्षित वर्ग के समस्त आवेदकों से आवेदन-पत्र के साथ ही छानबीन समितियों/जिला सत्यापन समितियों से सत्यापित जाति प्रमाण-पत्र की मॉग की जाने लगी। अतः वृहद स्तर पर होने वाली नियुक्तियों तथा व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश की अवधि में जाति प्रमाण-पत्र सत्यापन संबंधी कार्यालयों में अत्याधिक भीड़ एकत्रित हो जाती है तथा कई बार आवेदकों को नियुक्ति तथा प्रवेश के संबंध में आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के पूर्व प्रमाण-पत्र सत्यापित कराने के लिए भीड़-भाड़ के कारण अत्यंत कठिनाईयों का भी सामना करना पड़ता है।

4/ वस्तुतः भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 16 मार्च, 1999 तथा दिनांक 20 मार्च, 2007 एवं इस विभाग के उपर्युक्त परिपत्रों द्वारा जारी निर्देशों का मूल उद्देश्य, आरक्षित पदों पर नियुक्ति या प्रवेश आदि में किसी अपात्र अथवा मिथ्या अथवा कपटपूर्वक जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति की नियुक्त अथवा प्रवेश न होने देना था परंतु उक्त निर्देशों के संबंध में नियोक्ताओं, शैक्षणिक संस्था प्रमुखों तथा अन्य प्राधिकारों के द्वारा अपनी सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए **समस्त आवेदकों** से आवेदन-पत्र के साथ ही उचित माध्यम से सत्यापित जाति प्रमाण-पत्र की मॉग किए जाने की कार्यवाही उचित नहीं है, विशेषकर इस राज्य में जहॉ की लगभग तीन चौथाई जनसंख्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से है।

5/ आपको विदित है कि राज्य शासन के द्वारा हाल ही में छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 (कमांक 13 सन 2013) पारित

किया गया है तथा उक्त के अनुक्रम में यथाशीघ्र उक्त संबंध में नियम जारी किए जाने की भी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त अधिनियम में मिथ्या तथा कपटपूर्वक जाति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने वाले, जारी करने वाले तथा उक्त संबंध में दुष्प्रेरण करने वाले के विरूद्ध दो वर्ष का कारावास तथा रूपए बीस हजार तक जुर्माने से दण्डित किए जाने का उपबंध किया गया है तथा मिथ्या प्रमाण –पत्र के आधार पर प्राप्त किए गए समस्त लाभों को वापस लिए जाने का उपबंध भी उक्त अधिनियम में किया गया है। अतः निश्चित रूप से उक्त कठोर प्रावधान के उपरांत मिथ्या जाति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने, जारी करने तथा उसके दुष्प्रेरण के मामलों में कमी आयेगी।

6/ अतएव उपरोक्त समस्त स्थितियों पर विचारोपरांत निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है :–

(1) लोक नियुक्ति हेतु आरक्षित पद की पूर्ति हेतु अथवा शैक्षणिक संस्थान में अथवा संवैधानिक निकाय में रिक्त आरक्षित सीट की पूर्ति हेतु, लोक नियोजक, शैक्षणिक संस्थान अथवा संवैधानिक निकायों के द्वारा आवेदन –पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र के अलावा जाति प्रमाण–पत्र के सत्यापन अथवा प्रमाणीकरण संबंधी प्रमाण–पत्र की मॉग आवेदकों से नहीं की जावेगी।

(2) आरक्षित पद पर नियुक्ति अथवा आरक्षित सीट पर प्रवेश हेतु चयन अथवा निर्वाचन, नामांकन, मनोनयन के उपरांत आवेदक के उपर्युक्त अनुक्रम में उपस्थित होने पर उससे संलग्न प्रारूप (1) अनुसार शपथ–पत्र प्राप्त किया जावेगा, जिसमें प्रमाण–पत्र गलत अथवा कपट पूर्वक अभिप्राप्त करने की बात प्रमाणित होने की स्थिति में प्रदत्त लाभ एवं सुविधाओं पर व्यय की गई राशि भू राजस्व के भॉति वसूल किए जाने से सहमति एवं प्रवृत्त कानूनों के तहत दण्ड का भागी होने संबंधी आशय निहित होगा।

(3) संबंधित लोक नियोजक, शैक्षणिक संस्थान, संवैधानिक निकाय, राज्य शासन अथवा केन्द्र शासन को, आरक्षित पद अथवा आरक्षित सीट पर नियुक्त, प्रवेशित, निर्वाचित, नामांकित अथवा मनोनित व्यक्ति के संबंध में यह शिकायत प्राप्त होती है अथवा संदेह होता है कि उसके द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण–पत्र मिथ्या है या कपटपूर्वक प्राप्त किया गया है तो वह संदेह के कारणों को उल्लेख करते हुए उक्त प्रमाण–पत्र संबंधित जिला स्तरीय जाति प्रमाण–पत्र सत्यापन समिति को संदर्भित करेगा और आवश्यकतानुसार जिला स्तरीय जाति प्रमाण–पत्र सत्यापन समिति उक्त प्रमाण–पत्र जाति प्रमाण–पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति को गहन एवं विस्तृत जॉच हेतु अग्रेषित कर सकेगी।

(4) संबंधित लोक नियोजक, शैक्षणिक संस्थान, संवैधानिक निकाय, राज्य शासन अथवा केन्द्र शासन किसी जाति प्रमाण–पत्र को सत्यापन समिति

–4–

को संदर्भित करने के स्थान पर संबंधित व्यक्ति को भी सीधे यह निर्देशित कर सकेगा कि वह स्वयं अपना प्रमाण–पत्र सत्यापन समिति से सत्यापन करावे।

(5) सक्षम प्राधिकारियों के द्वारा जाति प्रमाण–पत्र जारी करते समय प्रत्येक जाति प्रमाण पत्र को जिला/अनुभाग/जाति/वर्ष/प्रकरण का अनुकमांक आधारित विशिष्ट कमांक आवंटित किया जावेगा। इस संबंध में पृथक से निर्देश जारी किए जा रहे है। सत्यापन समिति सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कुल प्रमाण–पत्रों के लगभग 10 प्रतिशत प्रमाण–पत्रों का सत्यापन नमूना जॉच के रूप में उक्त विशिष्ट कमांकों में से दैव निदर्शन पद्धति से करेगी, जिसके कारण सत्यापन समिति से आवेदक के द्वारा यह नहीं पूछा जा सकेगा कि उसी के प्रमाण–पत्र का चयन सत्यापन हेतु क्यों किया गया है।

7/ उपरोक्तानुसार निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित किया जावे। कदाचित पूर्व में आरक्षित पद पर नियुक्ति अथवा आरक्षित सीट पर प्रवेश हेतु चयन अथवा निर्वाचन, नामांकन, मनोनयन आदि के मामलों में आवेदकों से आवेदन–पत्र के साथ जाति प्रमाण–पत्र के सत्यापन अथवा प्रमाणीकरण संबंधी प्रमाण–पत्र की मॉग किए जाने के निर्देश दिए गए हों, तो उपरोक्तानुसार संशोधित विज्ञप्ति जारी की जावे।

8/ कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

संलग्न– यथोपरि।

(मनोज कुमार पिंगुआ)
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क.एफ 13–4/2006/आ.प्र./1–3 नया रायपुर, दिनांक 25 जून 2013

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर।
2. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
3. मुख्य सचिव, के अवर सचिव मंत्रालय, छत्तीसगढ़ रायपुर।
4. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
5. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, जीरो पाईंट,रायपुर।
6. माननीय् मत्रींगण/राज्य.मंत्रीगण/संसुदीय सचिव के निज सचिव/निज सहायक, छत्तीसगढ़।
7. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर।
8. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर।

–5–

9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ रायपुर।
10. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग,छत्तीसगढ़ रायपुर।
11. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर।
12. आयुक्त, जनसम्पर्क छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर ।
13. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ भवन, नई दिल्ली।
14. सचिव, छत्तीसगढ लोक आयोग/मानव अधिकार आयोग, रायपुर।
15. उप सचिव,महाधिवक्ता कार्यालय उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर, छ.ग.।
16. अध्यक्ष, जाति प्रमाण–पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति, आदिम जाति तथा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर छ0ग0।
17. संचालक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, मंत्रालय नया रायपुर की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट **www.cg.nic.in/gad** पर अपलोड हेतु। की ओर सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(एम.आर. ठाकुर) 6/13
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
29/6/13

प्रारूप (एक) -

आरक्षित पद अथवा सीट पर नियुक्त / प्रवेशित / निर्वाचित / नामांकित / मनोनित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत

शपथ–पत्र

मैं श्री / श्रीमती / कुमारी ..... आ0 ..... उम्र ..... वर्ष ..... व्यवसाय ..... निवासी ..... तहसील ..... जिला ..... राज्य ..... शपथपूर्वक कथन करता / करती हूँ कि :

(1) मेरे द्वारा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद / सीट / लाभ / सुविधा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है / था।

(2) मेरी नियुक्ति / प्रवेश / निर्वाचन / नामांकन / मनोनयन आरक्षित पद / सीट के अध्ययधीन प्रदान की गई है।

(3) मेरे द्वारा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग को होने के संबंध में .....(प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं पद) द्वारा जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(4) मेरे द्वारा प्रस्तुत सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र विहित रीति से तथा विहित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है तथा उक्त प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु मेरे द्वारा सक्षम प्राधिकारी को दी गई समस्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार सत्य है।

(5) कदाचित उपर्युक्त जाति प्रमाण पत्र / सत्यापन प्रमाण–पत्र के गलत अथवा कपट पूर्वक प्राप्त करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तथा उक्त के आधार पर अथवा स्वप्रेरण से सामाजिक प्रास्थिति जिला स्तरीय सत्यापन समिति मेरी सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में कोई जॉच करती है अथवा गहन जॉच हेतु सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति को संदर्भित करती है तथा उक्त समिति या समितियों के द्वारा मेरी सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में की गई जॉच एवं पारित निर्णय से यह प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा मेरी सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में किया गया दावा तथा प्रस्तुत सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र गलत अथवा कपटपूर्वक प्राप्त किया गया है तो बिना किसी अपवाद के आरक्षित पद / सीट के अध्ययधीन मेरी नियुक्ति / प्रवेश / निर्वाचन / चयन / प्रदत्त लाभ / सुविधा, यथास्थिति अनावेदक (संबंधित लोक नियोजक / शैक्षणिक संस्था / संवैधानिक निकाय / राज्य शासन / केन्द्र शासन का नाम) .....

..... द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त / समाप्त / अपवर्जित किया जा सकेगा तथा मैं उक्त नियुक्ति / प्रवेश / निर्वाचन / चयन / प्रदत्त लाभ / सुविधा आदि के संबंध में व्यय की गई राशि अनावेदक को वापस करने हेतु दायित्वाधीन होउँगा तथा उक्त राशि मुझसे भू राजस्व के बकाया की भाँति वसूली जा सकेगी तथा उक्त संबंध में मेरे विरूद्ध छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 की धारा 8 से 13 में निर्दिष्ट कार्यवाही की जा सकेगी

हस्ताक्षर .....

सत्यापन

मैं श्री / श्रीमती / कुमारी .....
आत्मज / आत्मजा ..... सत्यापित करता हूँ कि इस शपथ पत्र की कण्डिका 1 से 5 में उल्लिखित लेख मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी अनुसार सही है, जिसे मैं पूरे होशो हवास में सत्यापित करता हूँ ।

हस्ताक्षर .....